an>

Title: Need to extend the limit to give compensation from two hectare to four hectare covered under National Disaster Relief Fund.

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। एक्चुअली एनडीआरएफ के तहत किसानों के बारे में यह बात है, किसानों के बारे में पहले भी बताया था, किसान का नुकसान होने के समय में स्पेशली दो हेक्टेअर तक मुआवजा दिया जाता है। मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं, क्योंकि किसान की उपज का मूल्य निर्धारण करना उसके हाथ में नहीं है, पैंदावार भी प्रकृति के हाथ में है, इसलिए उसकी पैंदावार का जब ओलावृष्टि या किसी कारण से नुकसान हो जाता है तो केवल दो हेक्टेअर तक के किसानों को उसका फायदा दिया जाता है। दो हेक्टेअर से ज्यादा वाले जो मध्यम श्रेणी के किसान हैं, they do not get any benefit. It is my humble request to hon. Prime Minister, hon. Agriculture Minister and hon. Home Minister of the Union Government of India कि किसानों को दो हेक्टेअर की बजाय चार हेक्टेअर तक मुआवजा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार एवं राजस्थान सरकार ने निवेदन किया है कि चार हेक्टेअर तक मुआवजा दिया जाए।

HON. CHAIRPERSON :

Shri Bhairon Prasad Mishra,

Dr. Manoj Rajoria and

Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri C.R.Chaudhary.